ISSN 2348-3857

ग्रामीण विकास में ई-पंचायत की भूमिका

देशराज यादव

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान विभाग

ला.ब.शा. राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

सूचना एवं संचार क्रान्ति का प्रशासन, प्रबंधन, वाणिज्य, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण विकास में पंचायत की उतरोतर बढती भूमिका के कारण आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आवश्यक हो जाता है। वर्तमान में ई-पंचायत की स्थापना इस दिशा में उठाया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। ई-पंचायत से अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक पंचायत से है जिसमें आधुनिक तकनीक एवं सूचना प्रणाली का उपयोग कर पंचायत को आधुनिक संचार प्रणाली से जोड़ा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पंचायत स्तर पर शासन प्रबंधन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार करना है। ई-पंचायत का लक्ष्य ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं का प्रभावी ढ़ग से कार्यान्वयन करना, शासन में पारदर्शिता एवं कुशलता लाना एवं आधुनिक सूचना क्रान्ति का लाभ जन-जन तक पहुँचाना है। ई-पंचायत को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हो। ग्राम पंचायतों में केवल कम्प्यूटर व इंटरनेट की सुविधा कर देने मात्र से ई-पंचायत के उद्देश्य को प्राप्त करना संभव नहीं है जैसा कि सामान्यतया प्रचलित है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक तकनीकी रूप से दक्ष स्टाफ होना चाहिए ताकि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी इस्तेमाल कर सके। ग्राम पंचायत से संबंधित सभी सूचनाओं का संग्रहण तथा निर्देशन होना चाहिए। ई-पंचायत का महत्व संदेह रहित है परन्तु पंचायत-स्तर पर आधारभूत संरचनाओं के अभाव के कारण इसका पूर्ण प्रभाव दिखाई देने में कुछ वक्त और लगेगा।

संकेताक्षर : *ई-शासन, ई-पंचायत, ग्रामीण विकास*

प्रस्तावना

''भारत गांवों में निवास करता है।'' महात्मा गांधी का यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था। भारत की दो तिहाई जनता गांवों में निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,38,387 थी तथा भारत की कुल आबादी का 72 प्रतिशत इनमें निवास करता था। परन्तु गांवों में रहने वाली जनता का एक बडा भाग अभावों, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, रूढ़िवादिता व अन्याय का शिकार रहा है। गांवो की दुर्दशा का वर्णन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ''आज हमारे गांव जिन तीन बीमारियों के चंगुल में है, वे है-सामूहिक स्वच्छता का अभाव, अपर्याप्त आहार, और जडता...।''1 आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बावजूद गांवों की दशा में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। आज भी गांवों में रोजगार, अच्छी शिक्षा, स्वच्छता व स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी आवश्यकताओं में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। भारत में उदारीकरण की नीतियों का फायदा शहरों में रहने वाली जनता को अधिक मिला है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण गांवों में रहने वाले शिक्षित एवं सम्पन्न वर्ग का शहरों की ओर तेजी से पलायन हुआ है। परम्परागत रोजगार के अवसरों में कमी, कृषि कार्य अलाभकारी होने एवं आवश्यक कौशल के अभाव के कारण गांव में रहने वाले लोगों का जीवन दूभर हुआ है। किसानों में आत्महत्या की बढ़ती हुई घटनाएं इस भयावह स्थिति को रेखाकिंत करती है। अत: नीतियां बनाते समय इन ग्रामीणजनों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण विकास के बिना हम समृद्ध भारत की कल्पना नहीं सकते है।[2]

ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने आजादी के बाद गांवों के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया हों, ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर अनेक सामाजिक व आर्थिक विकास की योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण किया है। परन्तु भारत के विशाल आकार और विविधताओं को देखते हुए दूर-दराज तक

शासन की पहुँच सुनिश्चित करना और उसे स्थानीय स्तर पर अर्थपूर्ण एवं प्रासंगिक बनाना एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई है।

भारत में पंचायती राज का उद्‌भव व विकास

पंचायती राज भारत के लिए नई अवधारणा नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि पंचायतें भारत में प्राचीन काल से ही ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। वैदिक काल में ग्राम प्रशासन का उतरदायित्व ग्राम पंचायत पर था। मौर्यकालीन भारत में पंचायतों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। गुप्तकाल में ग्राम को प्रशासन की सबसे छोटी ईकाई माना जाता था। ब्रिटिश कालीन भारत में लॉर्ड मेयो ने सता के विकेन्द्रीकरण और स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन हेतु 1870 में प्रस्ताव लाकर जनता की सहभागिता स्थापित करने की पहल की। लार्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का जनक माना जाता है। सन 1950 में लागू संविधान का 40वाँ अनुच्छेद पंचायतों से सम्बन्धित है। इस अनुच्छेद के अनुसार ''राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठायेगा।''। आजाद भारत मे सर्वप्रथम 2 अक्टूबर,1959 को पं. जवाहर लाल नेहरू ने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 'जातांन्त्रिक विकेन्द्रीकरण' की योजना का श्रीगणेश किया, जिसे पंचायत राज कहा गया। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्‌वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर एक संस्था के तौर पर ग्राम स्तर, खण्ड स्तर और जिला स्तर पर शासन के तृतीय पायदान के रूप में स्थापित किया गया है। 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की धारा 2 और 4 में संशोधन के साथ ही संविधान के भाग 9वीं और 11वी अनुसूची को अधिस्थापित करता हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसरण में पहली बार सम्पूर्ण देश में पंचायती राज की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। जिसके अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों के लिए सीटों का जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष करना व किसी पंचायत के भंग होने की स्थिति में छ: माह में चुनाव कराने की व्यवस्था की गई है। 11वी ंअनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषय दिए गए है। मई 2004 में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया है।[3]

भारत में पंचायत राज के माध्यम से लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण किया गया है। इस प्रकार पंचायती राज की स्थापना के बाद समग्र ग्राम विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर आ गई है। केन्द्र एवं राज्यों द्वारा संचालित ग्राम विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका को प्रभावी बनाया गया है। ग्राम पंचायतों के कार्य को पारदर्शी, कार्यकुशल एवं प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल आवश्यक हो जाता है। वर्तमान में ई-पंचायत की स्थापना इस दिशा में उठाया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।

ई-शासन की अवधारणा

ई-शासन से अभिप्राय आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशासन के प्रबंधन व संचालन में उपयोग करना है। विश्व बैक के अनुसार 'ई-शासन से तात्पर्य सरकारी एजेंसियों द्‌वारा ऐसी सूचना प्रौद्‌योगिकियों (जैसे कि विस्तृत नेटवर्क क्षेत्र, इंटरनेट और मोबाइल कम्प्यूटिंग) का प्रयोग है, जिसमें नागरिकों, व्यापार और सरकार के अन्य विभागों के बीच संबंध स्थापित हों।''[4]

भारत में सन 1987 में निकनेट के लोकार्पण से ई-शासन की दिशा में कदम बढाया गया। यह राष्ट्रीय उपग्रह पर आधारित कम्प्यूटर नेटवर्क है। इसके बाद सभी जिला कार्यालयों को जोड़ने के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसएनआईसी) कार्यक्रम की शुरूआत की गई। निकनेट ने 1990 में राज्यों की राजधानियों से लेकर सभी जिला मुख्यालयों तक इस का विस्तार किया गया। बाद के वर्षो में कम्प्यूटरीकरण द्वारा टैली कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी से केन्द्र और राज्य स्तर पर ई-शासन की स्थापना की गई। ई-शासन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) को लागू करके उठाया गया।

भारत में ई-शासन

भारत सरकार ने नीति निर्धारण में नागरिकों की सहभागिता व सूचनाओं को सुगम्य एवं सरल बनाने तथा शासन में पारदर्शिता व कार्यकुशलता लाने की भावना से वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) लागू की है। 18 मई 2006 को इस योजना के अन्तर्गत 27 मिशन मोड परियोजनाए एवं उनके 10 संघटक अनुमोदित किए गए।[5] एनईजीपी के माध्यम से ''जनसाधारण को उसके अपने स्थान पर सामान्य सुपुर्दगी केन्द्रों के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं उपलबध कराना और जनसाधारण की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम लागत पर ऐसी सेवाओं की कार्यकुशलता, पारदर्शिता, और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था''। इस कार्य हेतु भारत में निम्न **ई-गवर्नेंस परियोजनाएं** कार्य कर रही है-

ISSN 2348-3857

भारत में ई-गवर्नेंस परियोजनाएं

केन्द्रीय मिशन मोड परियोजनाएं	राज्य मिशन मोड परियोजनाएं	एकीकृत मिशन मोड परियोजनाएं
बैकिंग	कृषि	सामूहिक सेवा केन्द्र
बीमा	ई-पंचायत	ई-न्यायालय
आयकर	वाणिज्य कर	ई-व्यवसाय
सेन्ट्रल एक्साइज एवं सीमा शुल्क	भू-अभिलेख	ई-खरीद
पासपोर्ट	ई-जनपद	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा प्रदान करने वाला ग्रेटवे
पेंशन	पुलिस	इण्डिया पोर्टल
डाक विभाग	सड़क परिवहन	
ई-कार्यालय	कोषागार कम्प्यूटरीकरण	
आप्रवास,वीजा, विदेशियों का पंजीयन एवं ट्रैकिंग	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	
विशिष्ट पहचान चिन्हीकरण	शिक्षा	
एमसीए21	स्वास्थ्य	
	रोजगार कार्यालय	

ई-पंचायत

ई-पंचायत से अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक पंचायत से है जिसमें आधुनिक तकनीक एवं सूचना प्रणाली का उपयोग कर पंचायत को आधुनिक संचार प्रणाली से जोड़ा जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पंचायत स्तर पर शासन प्रबंधन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार करना है। ई-पंचायत का लक्ष्य ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं का प्रभावी ढ़ग से कार्यान्वयन करना, शासन में पारदर्शिता एवं कुशलता लाना एवं आधुनिक सूचना क्रान्ति का लाभ जन-जन तक पहुॅचाना है।

पंचायत ग्रामीण विकास की धुरी है। सरकार एवं ग्रामीण जनता के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य पंचायत ही करती है। देश की दो-तिहाई आबादी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं प्रशासन में प्रत्यक्ष भागीदारी प्रदान करने का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत का है। पंचायत न केवल लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है बल्कि निर्धन, निरक्षर, उपेक्षित और असंगठित ग्रामीण जनता की आवाज भी है। ग्राम पंचायतो के उतरोत्तर बढते दायित्व बोध एवं स्थानीय स्वशासन को प्रभावशाली बनाने के लिए पंचायत स्तर पर ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना को राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) में शामिल किया गया है।[6]

मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का उद्देश्य गांवों में विश्वसनीय संचार प्रणाली की कमी, नागरिकों तक सुविधा वितरण में होने वाली देरी, ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं को लागू कराने के लिए कम राजस्व संग्रहण और योजनाओं के लिए निगरानी तंत्र की कमी आदि का सामना कर उन्हें दूर करना है। एमएमपी ग्राम पंचायत स्तर पर सेवाएं और प्रबंधन के क्रियान्वयन के निम्न मापदंडों पर भी विचार करती है-

- व्यापार लाइसेंस और एनओसी जारी करना
- जन्म और मृत्यु, आय और ऋण चुकाने की क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करना।
- आवासीय योजनाओं से संबंधित सेवाएं
- ग्राम सभा की कार्यवाही और कार्यकलापों की रिपोर्ट की प्रतिलिपि तैयार करना
- पंचायत एजेंडा, मतदान और संकल्प की आन्तरिक प्रक्रिया का प्रसार करना
- आय-व्यय का लेखा जोखा और कार्य की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना
- बीपीएल डाटा का संधारण एवं प्रसार करना।

ई-पंचायत, मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) की ऐसी परियोजना है, जिसका ग्रामीण भारत को सशक्त और रूपांतरित करने की दृष्टि से कार्यान्वयन किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय ने परियोजना को लागू करने के लिए डॉ बी. के. गैरोल की अध्यक्षता में जून, 2007 में विशेषज्ञ समूह का गठन किया।[7] विशेषज्ञ समूह ने सार रूप में पाया कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पं. बंगाल

और गोवा जैसे राज्यों ने पंचायत स्तर पर कंम्प्यूटरीकरण के लिए जो प्रयास किये थे वे लघु अवधि के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाये थे और सम्पूर्ण ढ़ाचे के अभाव के कारण पंचायतों को पूर्ण रूप से रूपान्तरित करने में विफल रहे अत: यह महसूस किया गया कि पंचायतों में व्यापक रूप से प्रभाव डालने हेतु अधिक विस्तृत दृष्टिकोण आवश्यक है। इन सिफारिशों को ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना की संकल्पना का आधार बनाया गया।

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्र मे पंचायत की दिनों-दिन बढ़ती भूमिका को देखते हुए इसके कुशल एवं प्रभावी संचालन के लिए आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करना होगा। आज ''डिजिटल सयुंक्त समाज'' बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि ग्रामीण जनता का बडा भाग नई प्रौद्योगिकी से लाभान्वित हो सके; सूचना एवं सेवाओं की जानकारी पा सके और विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावकारी भूमिका निभा सकें। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने मिशन मोड अवधारणा पर देश की सभी पंचायतों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी इस्तेमाल के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना को लागू किया है।[8] ई-पंचायत मिशन मोड़ परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों मे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है-

- पंचायतों की आंतरिक कार्य-प्रवाह प्रक्रियाओं का स्वचलीकरण
- पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की क्षमता में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार
- नागरिक को सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार करना
- सामाजिक लेखा परीक्षा
- पंचायतों के काम-काज को पारदर्शिता, कार्यकुशल एवं जवाबदेह बनाना।
- पंचायतों में सूचना के अधिकार की अनुपालना सुनिश्चित करना।
- स्थानीय स्वशासन को प्रभावी एवं कार्यकुशल बनाना।

ई-पंचायत व ग्रामीण विकास

भारत में पंचायती राज के माध्यम से लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण करके महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के आदर्श को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सही मायनों में ग्राम पंचायत एक छोटा गणराज्य है और इसे स्वायतता का अधिकार दिया गया है। अनुसूची-11 के अन्तर्गत इसे सभी आवश्यक क्षेत्रों में अधिकार दिये गये है। ग्रामीण जीवन से संबंधित सभी कार्य ग्राम पंचायत द्वारा जनसहयोग से किये जाते हैं। यह ग्राम प्रशासन की निम्न एवं आधारभूत इकाई है जिसके द्वारा विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूची-119 में ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है जैसे-सिचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पशुपालन तथा रसोई के लिए ईधन की व्यवस्था आदि। पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास के लिए निम्न कार्य किये जाते है-

- ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं जैसे स्कूल, सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में सुधार करना। इस हेतु सिचाई के साधनों, भूमि सुधार, कृषि साख सुविधाओं का विस्तार, उन्नत किस्म के बीज व खाद की व्यवस्था करना, कृषि विपणन को सुलभ बनाना आदि कार्य सम्मिलित है।
- सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सामाजिक सेवाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करना।
- ऋण एवं सब्सिडी के माध्यम से उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराकर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों की सहायता करना।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लागू करना।
- भूमि सुधार, मत्स्य उद्योग, वन उद्योग, समाज कल्याण, लोकवितरण प्रणाली और सामुदायिक शक्तियों की अनुशंसा, पंचायत के दायरे में आते है।[10]

जानकारी और पारदर्शिता के अभाव में उपरोक्त कार्यो में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हो पाई है। अत: पंचायत द्वारा किये जाने वाले इन कार्यो के कुशल एवं प्रभावी संचालन के लिए आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ई-पंचायत)की महती आवश्यकता है। इसकी कार्यकुशलता एवं संगठनात्मक क्षमता पर ही विकास योजनाओं की सफलता निर्भर करती है। यदि पंचायत से जुड़े समस्त कार्यों को ई-पंचायत से जोड़ दिए तो ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है क्योंकि इससे शासन में पारदर्शिता, कार्यकुशलता, उतरदायित्व, ईमानदारी व खुलापन आयेगा। इससे पंचायत के लोगों में जागरूकता एवं अपने देश और प्रशासन के प्रति व्यक्तिगत उतरदायित्व का भाव विकसित होगा।[11]

- ई-पंचायत तकनीक के उपयोग से प्रशासन में ग्रामीण जनता की सहभागिता और समझ का विस्तार होगा जिसके कारण उनमें नागरिक चेतना का विकास होगा। जनता और शासकों को एक दूसरे की कठिनाईयों को समझने का अवसर मिलेगा जो कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है।
- ई-पंचायत के कारण आज पंचायतें गांवों के विकास के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं का प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वयन कर रही है जिसके कारण गांवों में शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य का स्तर ऊपर उठा है। मनरेगा जैसे रोजगारपरक कार्यक्रम निर्धन एवं बेसहारा लोगों के जीवन में एक रोशनी बनकर आया है।
- ई-पंचायत के माध्यम से भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों, नक्शों, सरकारी कानूनों व आदेशों, को सर्वसुलभ व आसान बना दिया गया है जिसके कारण भूमि संबंधी विवादों में न केवल कमी आयी है बल्कि गरीब किसानों को अनावश्यक विवादों एवं मुकद्मेंबाजी से निजात मिली है। किसानों के, राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले शोषण में भी कमी आएगी। गांवो में सद्भावना का वातावरण बनाने एवं कानून एवं व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।
- ई-पंचायत के माध्यम से पंचायत के कार्यो में पारदर्शिता एवं जवाबदेयता का विकास हुआ है। जिसके कारण कार्य समय पर पूर्ण करने की प्रवृति बढ़ी है। विकास योजनाओं का लाभ उचित एवं पात्र लोगों तक पहुॅचने लगा है।
- ई-पंचायत के माध्यम से सभी प्रकार के आँकडे. शीघ्र व आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। पंचायत स्तर पर कम्प्यूटर द्वारा संगृहीत ऑकडे.नीति निर्माण, नियोजन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पंचायत स्तर पर इन सूचनाओं के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण आसान होगा।
- ई-पंचायत से दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोग विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। परीक्षा परिणाम की समय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकते हैं।[12]

ई-पंचायत की प्रमुख चुनौतियाँ

ई-पंचायत की प्रमुख चुनौतियाँ इसको लागू करने एवं आधारभूत संरचना को लेकर हैं-[12]

- आज भी आधे से अधिक गांवों में विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं है।
- अधिकांश ग्रामवासी एवं पंचायत प्रतिनिधि कम्प्यूटर साक्षर नहीं है।
- आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दक्ष स्टाफ का ग्राम पंचायतों में अभाव है।
- सुदूर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव ।
- कम्प्यूटर भाषा से अनभिज्ञता एवं नवीन तकनीकी के प्रति उदासीनता एवं संशय का भाव।
- ई-पंचायत के लिए आधारभूत संरचनाओं का अभाव।

उपसंहार

ई-पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग का प्रयास है। जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन में क्रांन्तिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके माध्यम से पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं के वितरण, प्रबन्धन व उपयोग को पारदर्शी, कार्यकुशल व प्रभावी बनाया जा सकता है। यह आधुनिक समय की मांग व विकास का आधार है। आज चारों ओर सूचना-प्रौद्योगिकी का योगदान बढता जा रहा है। ऐसे में पंचायतों को इस आधुनिक तकनीक से जोड़ना आवश्यक है। ई-पंचायत के प्रभावी उपयोग हेतु वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली को समझने व उपयोग करने वाली भाषा और समझ की आवश्यकता है। इसे सरल और स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराकर ही इसका पूर्ण उपयोग संभव है।

ई-पंचायत को सफल बनाने के लिए कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे पंचायत स्तर पर बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हो।[13] ग्राम पंचायतों में केवल कम्प्यूटर व इंटरनेट की सुविधा कर देने मात्र से ई-पंचायत के उद्देश्य को प्राप्त करना संभव नहीं है जैसा कि सामान्यतया प्रचलित है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी होना चाहिए ताकि आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी इस्तेमाल कर सके। ग्राम पंचायत से संबंधित सभी सूचनाओं का संग्रहण तथा निर्देशन होना चाहिए। ई-पंचायत का महत्व संदेह रहित है परन्तु पंचायत-स्तर पर प्रशिक्षित, कार्यकुशल, ईमानदार और दक्ष-तंत्र के अभाव में इसका पूर्ण प्रभाव दिखाई देने में कुछ वक्त और लगेगा।

संदर्भ सूची

1. गांधी, एम. के., हरिजन, 16.5.1936, पृ. 111-112
2. राय, डी. वी., पंचायत राज : रूरल डेवलपमेंट, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली 1976
3. पांडे, जयनारायण, भारत का संविधान, सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 1966 पृ. 422-426
4. डिपार्टमेंट आफ इनफोरमेंशन टेक्नोलॉजी, (मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एण्ड इनफोरमेंशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट इन इण्डिया) सीएससी इमपिलिमेंटेशन स्टेटस एक्रोस इण्डिया एज आन अगस्त 31, 2009, एक्सीड आन 17 सितम्बर, 2009. <http://www.mit.gov.in/download/CSC310809.pdf>
5. *india.gov.in/**e-governance***-India
6. <http://www.yourarticlelibrary.com/essay/panchayati-raj-system-essay-on-panchayati-raj-system-in-india/31327>
7. ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजक्ट - ए स्टेटस रिपोर्ट, <https://ePanchayat.gov.in> मिनिस्टिरी ऑफ पंचायत राज, गवर्नमेंट इन इण्डिया, अप्रैल, 2012, पृ. 10
8. https://en.wikipedia.org/wiki/ ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजक्ट
9. नारायण इकबाल, पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, 1970
10. नाड़ेकर, वी.डी., लोकल गवर्नमेण्ट: इट्स रोल इन डवलपमेंट एडमिनेस्ट्रेशन, कान्सेप्ट पब्लिसिंग कपंनी, नई दिल्ली
11. जैन, डी.के., ई-पंचायत इन इण्डिया, 14डी,वोल्यूम. 7 नं. 4, अप्रैल 2009, पृ. 6
12. बटक, डे. ई, गवर्नेंस इन इण्डिया : प्रॉब्लम्स, चैलेंज एण्ड अपरचुनिटीज -ए फ्यूचर विज़न इण्यिन जरनल आफॅ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नं. 3, जुलाई-सितम्बर, पृ. 300-310
13. प्रभु, सी.एस.आर., कॉस्ट इफेक्टिव साल्यूशन फॉर इफेक्टिव ई-गवर्नेंस, ई-पंचायत, कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इण्डिया, 11 सितम्बर, 2009